41–(08)–57–2018

पटना में दिनांक–09 अक्टूबर, 2018 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	गन्ना उद्योग विभाग	
1.	बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा–शर्तें) संशोधन नियमावली, 2018 (गन्ना उद्योग विभाग) की स्वीकृति।	1. स्वीकृत।
	नगर विकास एवं आवास विभाग	
2.	सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 16466/2014, नरेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 31.07.2017 को पारित आदेश के आलोक में श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक अभियंता, बिस्कोमान को राज्य सरकार की सेवा में समायोजन के संबंध में।	2. स्वीकृत।
	नगर विकास एवं आवास विभाग	
3.	"बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल विनियमन, 2018" की प्रशासनिक स्वीकृति।	3. स्वीकृत।
	नगर विकास एवं आवास विभाग	
4.	पूर्व से संचालित एवं वर्त्तमान में समाप्त JnNURM योजनान्तर्गत पटना जलापूर्ति योजना के 05 जलमीनारों तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों शेखपुरा, एस०के० नगर, एस०के० पुरी, अंटा घाट एवं अदालतगंज में नेटवर्क एवं अन्य कार्यों से संबंधित अवशेष कार्यों को राज्य योजना से पूर्ण कराने के साथ कुल 33,120 घरों में House Connection हेतु Centage सहित ₹4970.81855 लाख (उनचास करोड़ सत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ पचपन रू०) मात्र के योजना की स्वीकृति एवं बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।	4. स्वीकृत।
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू–अर्जन निदेशालय)	
5.	भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा–26(2) एवं प्रथम अनुसूची (First Schedule) में निहित प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित/अर्जनाधीन भूमि के मुआवजे के लिए मूल्य निर्धारण हेतु गुणक (Multiplier factor) निर्धारण के संबंध में।	5. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

6. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर पूर्वनियोजित एवं विभिन्न वर्षो में पुनर्नियोजित तथा वर्त्तमान में कार्यरत 12 कनीय अभियंता (असैनिक) (अनु०–''घ''), जिनका कार्य–कलाप संतोषप्रद रहा है, को संविदा अवधि समाप्ति की अगली तिथि से अगले आठ माह के लिए वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर पुनर्नियोजन के स्वीकृति के संबंध में।

6. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

7. श्री संजय कुमार उपाध्याय, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, भोजपुर सम्प्रति निलंबित, निलंबन अवधि का मुख्यालय समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सेवा से बर्खास्त करने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं देने की स्वीकृति के संबंध में।

7. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

8. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बक्सर अतिरिक्त प्रभार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर सम्प्रति निलंबित, निलंबन अवधि का मुख्यालय जिला पदाधिकारी का कार्यालय, गया को सेवा से बर्खास्त करने एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं देने की स्वीकृति के संबंध में।

8. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

9. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं० 9787/2015 श्री लाल बहादुर राम बनाम राज्यसरकार एवं अन्य में दिनांक–08.07.2015 को पारित न्यायादेश एवं अन्य सदृश्य मामले में पारित न्यायादेश के आलोक में बोर्ड/निगम से प्रतिनियुक्त श्री लाल बहादुर राम जिनकी सेवा 58 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व उनके पैतृक विभाग (बोर्ड/निगम) में वापस कर दी गई थी, को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कार्यरत मानते हुए नियमानुसार वेतन आदि का भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

9. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

10. श्रीमती प्रतिमा वर्मा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रामनगर, पश्चिम चम्पारण (निलंबित) सम्प्रति निलंबन अवधि का मुख्यालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

11. पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0 64 दिनांक–28.03.16 में जगदीशपुर एवं बिक्रमगंज अनुमंडल में औ.प्र. संस्थान हेतु स्वीकृत कुल 76 पद प्रत्यार्पित किये जाने तथा फुलपरास एवं महराजगंज अनुमंडल में स्थापित औ०प्र०संस्थान के स्वीकृत 76 पदों को मधुबनी सदर एवं सिवान के लिए कुल 76 पद परिवर्तित करते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

गृह विभाग

12. किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज पुलिस केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹3833.446 लाख (अड़तीस करोड़ तेतीस लाख चौवालीस हजार छः सौ रू०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्त्ती वर्षों में करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

13. ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्रामीण पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पंप स्थापित करने हेतु सरकारी भूमि का प्रयोग पहुँच पथ के रूप में करने हेतु नीति निर्धारण के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

14. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के क्षेत्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों के भवनों के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में से जहाँ भूमि उपलब्ध है, 60'x50'=3000 वर्ग फीट/न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर भूखंड का सांकेतिक शुल्क मात्र पर निर्धारित लीज अवधि के लिए हस्तांतरण की स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

15. विभिन्न भवन परियोजनाओं के लिए वास्तुविद् परामर्शी चयन के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

16. राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना हेतु 10 गाड़ी क्रय करने के लिए कुल रू० 1,17,00,000/–(एक करोड़ सत्रह लाख) बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17. स्वास्थ्य विभाग के अधीन गठित बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० (Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Ltd.) के लिए रू० 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़) के चक्रीय निधि (Revolving Fund) के सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा निगम में समतुल्य राशि के निवेश की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

18.. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, फेज–III अंतर्गत राज्यांश की राशि एवं विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वास्थ्य विभाग हेतु स्वीकृत उद्व्यय के अन्तर्गत रू० 260,00,00,000/– (रूपये दो सौ साठ करोड़) मात्र की राशि आंतरिक सामंजन कर बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर उपबंधित कराये जाने की स्वीकृति। — 18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. बिहार स्वास्थ्य सेवा से संबंधित व्यक्तियों एवं बिहार राज्य के चिकित्सा सेवा संस्थानों की सुरक्षा हेतु "बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति सुरक्षा नियमावली 2018" स्वीकृत एवं लागू करने के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

कृषि विभाग

20. राज्य में गुणवत्ता युक्त बीजों की पहुंच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में करने एवं उनके उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना, बीज वितरण कार्यक्रम एवं आधार बीज के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान देने की योजना स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम से 7088.51 लाख (सत्तर करोड़ अठासी लाख एकावन हजार) रूपये की स्वीकृति। — 20. स्वीकृत।

कृषि विभाग

21. बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य योजना मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन हेतु वर्ष 2018–19 में 4126.417 लाख (एकतालीस करोड़ छब्बीस लाख एकतालीस हजार सात सौ) रूपये सहायतानुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव।

21. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

22. नयी कोल वितरण नीति 2007 के तहत लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों, जिनकी वार्षिक कोयला खपत 10,000 (दस हजार) टन तक है, को उचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति हेतु बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि० को 1 (एक) वर्ष तक राज्य नामित एजेंसी (State Nominated Agency) मनोनीत करने एवं बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि० को पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से करने हेतु सेवा प्रदाता (Service Provider) के रूप में किसी एजेंसी की सेवा ले सकने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

22. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

23. मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के प्रावधानों पर राज्य सरकार के Commitment के साथ पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन SPV Model में अनुमानित लागत 17887.56 करोड़ रू० (सतरह हजार आठ सौ सत्तासी करोड़ छप्पन लाख रू०) (सभी करों सहित) पर कराने के लिए DPR, Comprehensive Mobility Plan (CMP) एवं Alternative Analysis (AA) सहित परियोजना प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजने हेतु सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति।

23. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

24. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार राज्य जल पर्षद को स्थापना, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹4100.00 लाख (एकतालीस करोड़ रू०) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

24. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

25. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–9543 दिनांक–08.07.2016 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पदों की सूची में सम्मिलित किये गये परिवहन विभाग के "प्रवर्तन अवर निरीक्षक" पद को उक्त सूची से विलोपित करने के संबंध में।

25. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

26. बिहार पुलिस कर्मियों (सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक) को उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पी०बी०–1+ग्रेड–पे 2000/–, पी०बी०–1+ग्रेड–पे 2400/–तथा पी०बी०–1+ग्रेड–पे 2800/–में दिनांक– 01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक–21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किये जाने के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

वित्त विभाग

27. स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन। — 27. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

28. पटना जिला अन्तर्गत सादिकपुर–पभेड़ा–मसौढ़ी पथ (SH-01) के कि०मी० 16.30 से 38.20 (कुल लंबाई 21.90 कि०मी०) तक में 4–laning कार्य (जॉब सं०–CRF-BR-2018-19/88) कुल ₹23321.52 लाख (दो सौ तेतीस करोड़ एक्कीस लाख बावन हजार) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 28. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

29. कोचस पथ प्रमंडल अन्तर्गत Old GT Road (सुअरा से कुम्हऊ) के कि०मी० 3.0 से 8.28 कि०मी० (कुल लंबाई 5.28 कि०मी०) तक में 4–laning कार्य (जॉब सं०–CRF-BR-2018-19/86) कुल ₹6514.60 लाख (पैसठ करोड़ चौदह लाख साठ हजार) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 29. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

30. पटना जिला अन्तर्गत सादिकपुर–पभेड़ा–मसौढ़ी पथ (SH-01) के कि०मी० 0.0 से 16.30 (कुल लंबाई 16.30 कि०मी०) तक में 4–laning कार्य (जॉब सं०–CRF-BR-2018-19/87) कुल ₹18340.96 लाख (एक सौ तेरासी करोड़ चालीस लाख छियानबे हजार) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

31. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹4434.00 लाख (चौवालीस करोड़ चौंतीस लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।

31. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

32. श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अंशकालीन/अतिथि अनुदेशक का पैनल निर्माण एन०आई०सी० पोर्टल के माध्यम से करने हेतु नीति निर्धारण में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

32. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

33. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में वाहनों के चालन हेतु वेतन स्तर–03 (तीन) में चालक सिपाही के 07 (सात) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

33. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

34. मुंगेर जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं०–333B गंगा रेल –सह–सड़क पहुँच पथ निर्माण हेतु मौजा– जानकीनगर, थाना नं०–197, खाता सं०–140, खेसरा सं०–289 की 4.36 हेक्टेयर पथ निर्माण विभाग, मुंगेर की भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को निःशुल्क हस्तान्तरण करने के संबंध में।

34. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

35. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में राजस्व मानचित्रों तथा खतियान के अद्यतनीकरण हेतु विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय भू–अभिलेख एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NLRMP/DILRMP) को चालू रखते हुए वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक 02 वर्ष के लिए योजना के अवधि विस्तार हेतु राज्यांश 165236.88524 लाख रूपये (सोलह अरब बावन करोड़ छत्तीस लाख अठासी हजार पाँच सौ चौबीस रूपया) तथा केन्द्रीय अंशदान की राशि 17407.07 लाख रूपये (एक अरब चौहत्तर करोड़ सात लाख सात हजार रूपये) अर्थात राज्यांश एवं केन्द्रांश सहित कुल राशि 182643.95524 लाख रूपये (अठारह अरब छब्बीस करोड़ तेतालिस लाख पनचानवे हजार पाँच सौ चौबीस रूपया) के व्यय एवं नियमित तथा संविदा सहित कुल 32799 (नियमित पद–1318, पूर्व से संविदा पद–191 एवं नव सृजित संविदा पद–31290) पदों के अवधि विस्तार/पद सृजन की स्वीकृति।

35. स्वीकृत।

विधि विभाग

36. बिहार राज्य विधि आयोग का कार्यकाल दिनांक–07.09.18 से तीन वर्षों का अवधि विस्तार एवं अध्यक्ष के पद पर सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति श्री अभिजीत सिन्हा की नियुक्ति के संबंध में।

36. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

37. भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर 31 सहायक विद्युत अभियंता एवं 08 सहायक अभियंता (यांत्रिक) के नियोजन की स्वीकृति।

37. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

38. राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत की परिसीमा के अंदर प्लास्टिक कैरी बैग (सभी आकार एवं मुटाई के) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करने के संबंध में।

38. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

39. पेट्रोल तथा डीजल के वैट दरों में कटौती के संबंध में।

39. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

40. बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण नियमावली–2009 के नियम 12 (2) में संशोधन के संबंध में। — 40. स्वीकृत।

कृषि विभाग

41. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान तथा स्टाईपेंड के लिए 5100.68 लाख रूपये (एकावन करोड़ अड़सठ हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 41. स्वीकृत।

कृषि विभाग

42. राज्य में अनियमित मॉनसून/सूखे/अल्पवृष्टि जैसी आपातकालीन स्थिति में फसलों में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु वर्ष 2018–19 के खरीफ मौसम में धान फसल हेतु एक ही खेत के लिए पूर्व में स्वीकृत अधिकतम 3 सिंचाई को बढ़ाकर 5 सिंचाई करने तथा रबी मौसम में गेहूँ के 3 सिंचाई को बढ़ाकर 4 सिंचाई करने एवं मक्का के 2 सिंचाई को बढ़ाकर 3 सिंचाई करने के साथ डीजल अनुदान मद में अतिरिक्त 17500.00 लाख (एक सौ पचहत्तर करोड़) रू० की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। — 42. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

43. राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद अधिनियम, 2013 के आलोक में मॉडर्न मेडिसीन के डेन्टिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, योगा एक्सपर्ट एवं डाइटिशियन के एक–एक कुल 4 पदों के सृजन के संबंध में। — 43. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

44. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ष 2018 की वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त सभी कोटि की अविवाहित 249856 छात्राओं को प्रति छात्रा ₹10,000/–(दस हजार) रूपये की दर से एक मुश्त राशि उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹2,49,85,60,000/–(दो अरब उन्नचास करोड़ पचासी लाख साठ हजार) रूपये मात्र राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति। — 44. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

45. राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों (उत्क्रमित सहित) अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्तरहित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं के लिए क्रमशः मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना तथा मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत साईकिल क्रय हेतु प्रति छात्र/ छात्रा को प्रावधानित ₹2500/–(पचीस सौ) रूपये की राशि के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018–19 से ₹3000/–(तीन हजार) की राशि उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति।

45. **स्वीकृत।**